



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262060  
CG-DL-E-28032025-262060

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1446]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947

No. 1446]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

**का.आ. 1464(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5314(E) तारीख 09/12/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पैकेज-VI NH227B के कि.मी. 160.200 (बहुवन मदार मांझा) से कि.मी.224.040 जगरनाथपुर ) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेंड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनानाआदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19 दिसंबर 2024" को "टाइम्स नेशन (अंग्रेजी)" और "अमर उजाला (हिंदी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग (पैकेज-VI) NH227B के कि.मी. 160.200 (बहुवन मदार मांझा) से कि.मी.224.040 (जगरनाथपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: बस्ती			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हरैया					
गांव का नाम: हैदराबाद					
1	155	निजी	कृषि	0.034	अब्दुलक्यूमखां / अब्दुलहक्खां मोअलीमखां / अब्दुलहक्खां मोहम्मदअमीनखां / अब्दुलहक्खां मोहम्मदमुनिरखान / मोईनखां
2	156	सरकारी	खन्ती	0.025	सरकारी
3	273	अन्य	कृषि/सङ्क	0.065	उमाप्रसाद / सूरजपाल दुर्गाप्रसाद / सूरजपाल हनुमान प्रसाद / भोलानाथ रामऔतार / रामआसरे हफीजखां / हमीदखां हरिहर / बलिकरन सलीम खां / हनीफ खां कलीम खां / हनीफ खां तौसीफ खां / हनीफ खां सोहेल खां / हनीफ खां सगीरुननिशा / हनीफ खां
4	463	सरकारी	नाली	0.001	सरकारी

5	464	निजी	कृषि	0.03	जगतपाल / भूलन विजय कुमार / जवाहिर शीला / जवाहिर
Total			0.155		

[फा.सं. RO-LKO-NH(O)-NH-227B-2021-22/3D2]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2025

**S.O. 1464(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5314(E) Dated:09/12/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of **84 kosi Parikrama Marg PKG-VI NH-227B** in the stretch of land from Km. 160.200 (Bahuvan Madar Manjha) to Km. 224.040 (Jagarnathpur) in the district of Basti in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Times Nation (English)**” and “**Amar Ujala (Hindi)**” both dated “**19 Dec 2024**” under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling 84 kosi Parikrama Marg PKG-VI NH227B in the stretch of land from 160.200 (Bahuvan Madar Manjha) to Km. 224.040 (Jagarnathpur) in the district of Basti in the state of UTTAR PRADESH.**

State: UTTAR PRADESH			District: BASTI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6

Taluk: Harraiya

Village: Haidarabad

1	155	Private	Agriculture	0.034	Abdul Kayum khan/Abdulah khan Mohd.Aleem Khan/Abdulah Khan Mohammad Amina
---	-----	---------	-------------	-------	---

					Khan / Abdulah Khan Mohammad Munir khan/Moin khan
2	156	Government	Khanti	0.025	Government
3	273	Common	Agriculture/Road	0.065	Umaprasad / Surajpal Durga Prasad / Surajpal Hanuman Prasad / Bholanath Ramautar / Ramasare Hafeez Khan / Hamid Khan Harihar / Balikaran Salim Khan / Hanif Khan Kaleem Khan / Hanif Khan Tausif Khan / Hanif Khan Sohail Khan / Hanif Khan Sagirunnisha / Hanif Khan
4	463	Government	Drain	0.001	Government
5	464	Private	Agriculture	0.03	Jagatpal / Bhulan Vijay Kumar / Jawahir Shaila / Jawahir
<b>Total</b>				<b>0.155</b>	

[F. No. RO-LKO-NH(O)-NH-227B-2021-22/3D2]

SHAIKH AMINKHAN, Director